

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 20/2019 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
दायर दिनांक 04.06.2019
निर्णय दिनांक 22.07.2019

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री रमेश चन्द सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)
-प्रार्थी

बनाम

1. श्री शांतिलाल रेगर पुत्र श्री मूलचन्द रेगर, (विक्रेता)
मैसर्स श्रीनाथ किराणा स्टोर, सोलंकी गेट के बाहर, अम्बेडकर चौराहा,
आभेट रोड, देवगढ़, राजसमंद।
2. श्री रूपेश कुमार चेलानी पुत्र श्री नारायण दास चेलानी (मालिक/विक्रेता)
मैसर्स श्री रूपेश ट्रेडिंग कम्पनी 32/186 नन्द नगर ब्यावर राजस्थान

- विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री रमेश चन्द सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षीगण पर मिस ब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी 1. श्री शांतिलाल रेगर पुत्र श्री मूलचन्द रेगर, (विक्रेता) मैसर्स श्रीनाथ किराणा स्टोर, सोलंकी गेट के बाहर, अम्बेडकर चौराहा, आभेट रोड, देवगढ़, राजसमंद। 2. श्री रूपेश कुमार चेलानी पुत्र श्री नारायण दास चेलानी (मालिक/विक्रेता) मैसर्स श्री रूपेश ट्रेडिंग कम्पनी 32/186 नन्द नगर ब्यावर राजस्थान जो की चाय (राजस्थान) बेचने का कार्य करता है। इनकी दुकान मैसर्स श्रीनाथ किराणा स्टोर, सोलंकी गेट के बाहर, अम्बेडकर चौराहा, आभेट रोड, देवगढ़, राजसमंद पर दिनांक 03.11.2018 को समय 02.15



Ch

पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया। वक्त निरीक्षण उक्त दूकान पर 30 किलोग्राम 500-500 ग्राम के पालीपैक में आम जनता को विक्री हेतु रखे हुये थे। इसमें मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर 4 सील्ड पैकेट 500-500 ग्राम के चाय (राजस्थान) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 520/- रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ चाय (राजस्थान) पैकेट के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा चाय (राजस्थान) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई - 852 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2018/78 दिनांक 09.01.2018 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस / 511/एक्ट/2017/554 दिनांक 19.12.2018 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना चाय (राजस्थान) मिस ब्राण्ड होना पाया गया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनों की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 30.05.2019 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के



Ch

अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षीगण द्वारा अपना जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। विपक्षीगण की बहस सुनी गई। अपनी बहस में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेट बिक्री में पैकेट छपाई के दौरान जो त्रुटि रह गई थी उसकी मुझे जानकारी सेम्पल के मिस ब्राण्ड घोषित करने के बाद मुझे जानकारी हुई। मुझसे गलती हुई भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। विपक्षीगण द्वारा जूर्म स्वीकार कर लेने के कारण गवाहान इत्यादि को बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षीगण की चाय (राजस्थान) मिस ब्राण्ड होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006, नियम-2011 की धारा 26 (II) का उपयोग करते हुए उक्त केस में मिस ब्राण्ड चाय (राजस्थान) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी 1. श्री शांतिलाल रेगर पुत्र श्री मूलचन्द रेगर, (विक्रेता) मैसर्स श्रीनाथ किराणा स्टोर, सोलंकी गेट के बाहर, अम्बेडकर चौराहा, आमेट रोड, देवगढ़, राजसमंद एवं श्री रूपेश कुमार चेलानी मैसर्स रूपेश ट्रेडिंग कम्पनी 32/186 नन्द नगर ब्यावर को 5,000 एवं 10,000 कुल 15,000/- रुपये (अक्षरे रूपया पन्द्रह हजार रुपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

